दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 24.02.2023

सि.वा.(मू.प.) 528/2019 एवं अन्तर्वर्ती आ. सं. 14315/2019

श्री. आदित्य गुप्ता

....वादी

द्वारा : श्री राजेश महिन्द्रू, अधिवक्ता

[(मो.):9810194135

ई-मेल: r_mahindru@rediffmail.com]

बनाम

श्री नरेन्दर गुप्ता एवं अन्य

...प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री जय सहाय एंडलॉ सह

श्री आश्तोष राणा, अधिवक्तागण |

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्करणा

<u>निर्णय</u> 24.02.2023

न्या.,सुश्री मिनी पुष्करणा

अन्तर्वर्ती. आ. 14315/2019 (वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 और 2 सह-पठित सीपीसी की धारा 151 के तहत एकपक्षीय एवं अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन)

- 1. वर्तमान आवेदन वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 और 2 सह-पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत एकपक्षीय एवं अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एवं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 ("वरिष्ठ नागरिक अधिनियम") की धारा 23 के तहत वादी के विरुद्ध उसके माता-पिता द्वारा दायर किये गए मामले में अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना है। वर्तमान आवेदन में निम्नलिखित प्राथनाएँ हैं:-
 - "(क) प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश पारित करें, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण के सम्मुख 'माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रस्तुत मुकद्दमा संख्या एफ. नं. डीएम/एसई/274/19/747-51 'श्रीमती नीना गुप्ता बनाम आदित्य गुप्ता' में वर्तमान वाद के विचारण के दौरान अग्रिम कार्यवाही पर न्यायहित में रोक लगाई जाए।
 - (ख) प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करें, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण, उनके प्रतिनिधि या उनके लिए एवं उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को वादी और उसके परिवार को वाद संपित अर्थात् संपित संख्या सी-580,तृतीय तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली से बेदख़ल करने से न्यायिहत में रोका जाए, जैसा कि स्थल नक्शे में वादी और उसके परिवार के अनन्य स्वामित्व वाले हिस्से को लाल रंग में एवं वादी के सामान्य स्वामित्व वाले हिस्से को हरे रंग में दिखाया गया है।
 - (ग) वादी को राहत देने वाला ऐसा अन्य आदेश पारित करें जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त एवं उचित समझता है।

- 2. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 इस मामले में वादी के माता-पिता हैं। प्रतिवादियों ने रख-रखाव न्यायाधिकरण के सम्मुख दिनांक 24.07.2019 को अपने बेटे के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज़ करके विरुष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। यह शिकायत वादी द्वारा अपने माता-पिता यानी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ किये गए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आधार पर दर्ज की गई थी। अतः, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वाद संपित, जहां पक्षकार संयुक्त रूप से रह रहे हैं, से वादी को हटाने में रख-रखाव न्यायाधिकरण की सहायता मांगी है।
- 3. तत्पश्चात्, वर्तमान वाद वादी द्वारा उसके माता-पिता के विरुद्ध इस कारण दायर किया गया था कि मुकदमा संपत्ति एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) संपत्ति है और वादी का उसमें सहदायिकी अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त, वादी संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर रहा है। वर्तमान वाद में निम्न प्रार्थनाएं हैं:-

"(क) एक डिक्री पारित की जाए जिसमें घोषणा की जाए कि वाद संपति अर्थात संपति संख्या सी-580, III तल , न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली एक एचयूएफ संपति हैं, जिसमें संलग्न बाथरूम वाले चार बेडरूम, ड्राइंग/डाइनिंग, किचन, फैमिली लाउंज, छत पर शौचालय सिहत सीड़ियों में एक सर्वेंट क्वार्टर, संपूर्ण टेरेस अधिकार, स्टिलट पार्किंग में मिडल कार पार्किंग, कॉमन एरिया एवं लिफ्ट एवं 299.8 वर्ग गज की भूमि में आनुपातिक अधिकार शामिल हैं, जिसमें कि वादी, प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 प्रत्येक के पास संपति के 1/3 हिस्से के बराबर सहदायिकी अधिकार हैं।

(ख) संपति सं. सी-580, III तल , न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली के विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित करें, जिसमें संलग्न बाथरूम वाले चार बेडरूम, ड्राइंग/डाइनिंग, किचन, फैमिली लाउंज, छत पर शौचालय सिहत सीड़ियों में एक सर्वेंट क्वार्टर, संपूर्ण टेरेस अधिकार, स्टिलट पार्किंग में मिडल कार पार्किंग, कॉमन एरिया एवं लिफ्ट एवं 299.8 वर्ग गज की भूमि में आनुपातिक अधिकार शामिल हैं एवं पक्षकारों के शेयरों की घोषणा करें।

(ग) संपति सं. सी-580, III तल , न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें जिसमें संलग्न बाथरूम वाले चार बेडरूम, ड्राइंग/डाइनिंग, किचन, फैमिली लाउंज, छत पर शौचालय के साथ सीढ़ी में एक सर्वेंट क्वार्टर, संपूर्ण टेरेस अधिकार, स्टिलट पार्किंग में मिडल कार पार्किंग, कॉमन एरिया एवं लिफ्ट एवं 299.8 वर्ग गज की भूमि में आनुपातिक अधिकार शामिल हैं।

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध वादी के पक्ष में 71,33,333/-रूपये की वसूली की डिक्री पारित करें जिसमें कि वादी के हिस्से की एक करोड़ रूपये के 1/3 भाग की 33.33 लाख रूपये एवं 14.05.2010 से फाइलिंग की अविध तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के हिसाब से 38 लाख रूपये की राशि के साथ-साथ वाद के विचारण काल से वसूली की वास्तविक तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष भविष्य की ब्याज दर शामिल हैं।

(ङ) वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध लेखा देने हेतु डिक्री पारित कर उन्हें संपति संख्या बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली की शेष विक्रय आय के रूप में एक करोड़ रुपये की एच.यू.एफ. निधि का पूरा लेखा देने और उसे निवेश करके या बैंक खाते में रखकर उनके द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा देने का निर्देश दें और यदि अतिशेष राशि 71,33,333/- रुपये से अधिक पाई जाती है, तो उसमें वादी का हिस्सा निर्धारित कर तदनुसार वादी के हिस्से की धनराशि वसूली की डिक्री वाद के विचारण काल से वसूली की वास्तविक तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष भविष्य की ब्याज दर के साथ पारित करें।

- (च) लेखा देने हेतु डिक्री पारित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 को एच.यू.एफ. संपति, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त की गई चल-अचल संपति एवं जेवरात एवं एच.यू.एफ. निधि से अर्जित संपति/ परिसंपतियां एवं एच.यू.एफ. संपतियों से मिलने वाली किराए की आय एवं वादी के हिस्से की संपतियों से प्रतिवादी सं. 1 को मिली विक्रय आय शामिल हैं, का वास्तविक विवरण देने के लिए निर्देशित करें। तदनुसार, वादी का हिस्सा निर्धारित कर न्यायहित में वादी के हिस्से की राशि की वसूली हेत् डिक्री पारित करें।
- (छ) न्यायहित में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा वादी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिकरण, नई दिल्ली की धारा 23 के अंतर्गत दायर मुकद्दमा संख्या एफ. नं. डीएम/एसई/274/19/747-51 'श्रीमती नीना गुप्ता बनाम आदित्य गुप्ता' की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित करें।
- (ज) स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 को वादी को वाद संपत्ति सं. सी -580,तृतीय तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली के स्थल योजना में लाल रंग से दर्शाये गए अनन्य स्वामित्व वाले भाग जिसमें छत का अधिकार भी शामिल है एवं स्थल योजना में हरे रंग से दर्शाये गए कॉमन भाग से अवैध रूप से किसी भी प्रकार बेदखल न करने हेतु बाध्य करें।
- (i) वादी को राहत देने वाला ऐसा अन्य आदेश पारित करें जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त एवं उचित समझता है।
- (i) सम्पूर्ण कार्यवाही का मुआवजा प्रदान किया जाए।"
- 4. वर्तमान वाद के साथ ही वर्तमान आवेदन वादी ने उसके माता-पिता द्वारा उसके विरुद्ध भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दाखिल किया है।

5. वादी की ओर से प्रस्तुत मुकद्दमा इस प्रकार है- वादी अपने माता-िपता के साथ नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बी-335 में स्थित 524 वर्ग गज़ की संपित 1979 में खरीदने के पश्चात 2010 तक रह रहा था। किथत संपित वादी के पिता यानी प्रतिवादी सं. 1 के साथ साथ उनके दो भाइयों के कब्ज़े में थी, जिनमें से प्रत्येक का उक्त संपित में ½ हिस्सा था। दिनांक 14. 05. 2010 को एक सहयोग अनुबंध निष्पादित किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने उक्त संपित में अपने ½ हिस्से के बदले बिल्डर से दो करोड़ रुपये लिए और उक्त संपित में अपने सभी अधिकार त्याग दिए। इसके साथ ही उसी दिन प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने वाद संपित यानी सी-580,तृतीय तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली को एक करोड़ रूपये में खरीदा।

6. वादी की ओर से कहा गया है कि पुरानी संपित अर्थात् संपित संख्या बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक एच.यू.एफ. थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी का 1/3 हिस्से पर सहदायिकी अधिकार था। संपित संख्या बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की विक्रय राशि से खरीदी गई वाद संपित भी एच.यू.एफ. संपित है और वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 का पुत्री होने के नाते वाद संपित में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिकी अधिकार है। उक्त वाद संपित में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में पुत्र एवं पुत्री का 1/3 (प्रत्येक) हिस्सा है। वादी एवं और उसकी पत्नी अपने नाबालिंग बेटे के साथ वाद संपित को 2010 में खरीदने के बाद से रह रहे हैं। आज तक, वादी एवं उसके परिवार वालों का वाद संपित की स्थल योजना (जिसे वाद के साथ दायर किया गया) में लाल रंग से दर्शाये गए भाग पर कब्ज़ा एवं स्थल

योजना में हरे रंग से दर्शाये गए कॉमन भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के साथ बराबर की हिस्सेदारी है।

7. वादी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं 3 लाला भागीरथ मल के वंशज हैं, जो कि अपने तीन बेटों के साथ एचयूएफ के कर्ता थे। वह अपने पीछे बड़ी संख्या में एचयूएफ संपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां छोड़ गए थे। मरणोपरांत भी, श्री भागीरथ मल दवारा सृजित एचयूएफ संपत्तियां उनके बेटों के बीच रहीं, जो सभी पारिवारिक व्यापार में शामिल थे। वर्ष 1969 में वादी के दादा, यानी प्रतिवादी सं. 1 के पिता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विभाजन मुकदमा, वाद सं. 376/1969 दायर किया गया था। उसी के परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ था एवं स्वर्गीय श्री भागीरथ मल के प्त्रों ने विभिन्न एचयूएफ संपत्तियां विभाजित की। वाद संख्या 376/1969 के वादी के अन्सार इस वाद में प्रतिवादी सं. 1 जो कि उक्त वाद में वादी सं. 4 थे, ने वाद में कहा था कि प्रतिवादी सं. 1 के दादा श्री भागीरथ मल ने अपने पुत्रों के साथ एचयूएफ का गठन किया था एवं उनके पास कई संयुक्त सम्पत्तियाँ थीं। उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके तीन पुत्रों ने बड़े संयुक्त हिंदू परिवार सम्पत्तियों का विभाजन किया लेकिन माप और सीमाओं के अनुसार कोई विभाजन नहीं हुआ था ।

8. वादी का कहना है कि वाद सं. 376/1969 में समझौता प्रार्थना-पत्र एवं वाद सं. 376/1969 में दिनांक 15. 01. 1970 को पारित आदेश साबित करता है कि 1953 में स्वर्गीय श्री भागीरथ मल की मृत्यु के समय एचयूएफ अस्तित्व में था।

9. यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने वाद सं. 1627/1982 में अंतरवर्ती.आ. सं. 3426/1983 यह स्वीकार किया कि संपत्ति सं. बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 1979 में संयुक्त परिवार कोष से खरीदी गई और उनके बयान के आधार पर दिनांक 30. 08. 1983 की डिक्री पारित की गयी थी जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के साथ साथ उसके तीन भाइयों व उनकी पत्नियों प्रत्येक का उक्त संपति पर ¼ हिस्सा रहेगा। वाद सं. 1627/1982 में आई.ए. सं. 3426/1983 में प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा दिया गया न्यायिक वक्तव्य यह साबित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है कि संपत्ति सं. बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी संयुक्त परिवार कोष से खरीदी गई थी और इसलिए यह एक एचयूएफ संपत्ति है। वादी जिसका जन्म 1973 में हुआ था, उक्त संपत्ति में प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहदायिक बना।

10. अतः वादी का तर्क यह है कि एचयूएफ कोष से खरीदी गई संपति संख्या बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सन 2010 में बेच दी गई थी। उसी दिन वाद संपत्ति, यानी सी-580, तीसरा तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली संपति संख्या बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, की विक्रय राशि से खरीदी गई थी। इस प्रकार सी-580, तीसरा तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली भी एचयूएफ संपति बन गई। निवेदन किया जाता है कि यह तथ्य प्रथम दृष्टया वाद को वादी के

पक्ष में यानी कि वाद संपत्ति का एचयूएफ संपत्ति होना साबित करते हैं एवं वादी को इसमें सहदायिक बनाते हैं।

11. इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि वादी का प्रतिवादियों के साथ ही वाद संपत्ति में सह-स्वामित्व होने के कारण जब तक संपत्ति का विभाजन नहीं हो जाता और वादी को उसमें उसका हिस्सा नहीं मिल जाता, उक्त संपत्ति में रहने का अधिकार है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 के द्वारा रख-रखाव अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही जो कि कब्जे की वस्ली के लिए किया वाद या वाद संपत्ति से वादी को निकालने के समान है, न्याय की दृष्टि से चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वादी का संपत्ति में सह-स्वामित्व है। कानून की दृष्टि से कोई सह-स्वामी किसी और सह-स्वामी के विरुद्ध कब्जे की वस्ली के लिए वाद दायर नहीं कर सकता और उसके पास इकलौता विकल्प संपत्ति के विभाजन के लिए वाद दायर करना है।

12. निवेदन किया जाता है कि क्योंकि वादी ने पहले ही विभाजन के लिए वर्तमान वाद दायर किया हुआ है, इसलिए, कब्जे की वसूली या वादी को वाद संपत्ति से बाहर निकालने की कार्यवाही चलाने योग्य नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष वादी द्वारा किये गए प्रति दावे पर विचारण करने या वाद संपत्ति में वादी के सहदायिकी अधिकारों पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता नहीं है। भरण पोषण अधिकरण के पास वाद चलाने और वाद संपत्ति को एचयूएफ संपत्ति घोषित करने की भी

अधिकारिता नहीं है। इसलिए, यह वादी को वाद संपत्ति से बेदखल करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 की याचिका पर विचार नहीं कर सकता है।

- 13. वादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41 (बी) के अंतर्गत यह न्यायालय भरण-पोषण अधिकरण के द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को स्थगित करने की अधिकारिता रखता है क्योंकि उन्हें यथावत रखने से वादी के साथ अत्यंत अन्याय होगा। वादी का वाद संपित में न्यायिक रूप से सह-स्वामित्व होने के कारण विभाजन के पश्चात वादी को उसका हिस्सा मिलने तक रहने का अधिकार है।
 - 14. अपने निवेदन के समर्थन में, वादी के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों को आधार बनाया है:
 - i. परमजीत आनंद बनाम मोहन लाल, सीएस (ओएस) 575/2001 निर्णय दिनांक 04.08.2018
 - ii. सौरभ शर्मा बनाम ओम वती, सीएस (ओएस) 430/2016 निर्णय दिनांक 25.05.2018
 - iii. भगवंत पी. सुलखे बनाम दिगम्बर गोपाल, 1986 (1) एससीसी 366
 - iv. कृपाल कौर बनाम जितेन्द्र पाल सिंह, जेटी 2015 (6) एससी 314
 - v. डी. एस. लक्षमिहियाह बनाम एल बालासुब्रमण्यम, 2003 (10) एससीसी 310

vi. धन कर आयोग बनाम चंद्रसेन, एआईआर 1986 एससी 1753

vii. अनीता आनंद बनाम गार्गी कपूर, 256 (2019) डीएलटी 84 viii. भारतीय स्टेट बैंक बनाम घमंडी राम, 1969 (2) एससीसी 33

ix. युधिष्ठिर बनाम अशोक कुमार, एआईआर 1987 एससी 558 x. विजय मनचंदा बनाम अशोक मनचंदा, 2010 (114) डीआरजे 467

xi. कॉटन कॉरपोरेशन बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, एआईआर

1983 एससी 1272

xii. दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर, 2018 एआईओएल 3291

xiii. मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यूएसजी क्रिकेट, जेटी 2003 (1) एस सी 382

15. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत फ़ाज़िल अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान वाद प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा उनके पुत्र यानी इस मामले में वादी के विरुद्ध भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही के प्रतिरोध में किया है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादियों ने वादी द्वारा उनके प्रति किये गए दुर्व्यवहार एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के भाव के प्रतिकूल उसके व्यवहार के विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

- 16. प्रतिवादियों ने वाद संपत्ति, जहाँ पक्षकार संयुक्त रूप से रह रहे हैं, से वादी को हटाने में भरण-पोषण अधिकरण की सहायता माँगी है। इसलिए वर्तमान वाद वादी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में विलम्ब करने और उसे विफल करने के लिए दायर किया है।
- 17. यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 2 वाद संपत्ति का एकमात्र और अन्त्य स्वामी है और वाद संपत्ति उनके कब्जे में है, जिसको उन्होंने दिनांक 14.05.2010 की पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदा था। प्रतिवादी वादी के हाथों हुए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक प्रताइना के शिकार हैं और उन्हें प्रतिवादियों के साथ रहने की अनुमति दी गई है। निवेदन किया जाता है कि वादी अपनी पत्नी के साथ प्रतिवादियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताइना, गाली एवं यातना दे रहा हैं एवं प्रतिवादी बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण अपनी रक्षा और बचाव करने में असमर्थ हैं।
- 18. प्रतिवादियों की ओर से निवेदन है कि वादी, उसकी पत्नी और पुत्र वाद संपत्ति पर अनिधकृत कब्जा किये हुए हैं। प्रतिवादी को कथित संपत्ति में वादी की निरंतर मौजूदगी के कारण जान का खतरा है और यदि वादी को वाद संपत्ति में रहने की अनुमति दी जाती है तो इससे उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।
- 19. प्रतिवादियों की ओर से निवेदन किया जाता है कि वाद संपत्ति स्व-अर्जित संपत्ति नहीं बल्कि एचयूएफ संपत्ति है। प्रतिवादी सं. 2 ने पंजीकृत विक्रय विलेख स्वयं के नाम पर लिखवाया है, इसलिए वाद संपत्ति के एचयूएफ होने का सवाल

ही नहीं उठता। यह भी निवेदन किया जाता है वादी द्वारा दायर किये गए वाद पर परिसीमा के कारण रोक है। वाद संपित एकमात्र प्रतिवादी सं 2 के नाम पर दिनांक 14.05.2010 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदी गई थी। 2010 में वादी की उम्र लगभग 27 साल थी एवं वह बालिग था। इसलिए 2019 में दायर वर्तमान वाद पर परिसीमा के कारण रोक है।

- 20. यह निवेदन किया जाता है कि बी-335, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली की संपित को कभी भी एचयूएफ फंड से नहीं खरीदा गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि स्थापित कानून के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को विभाजन डिक्री के माध्यम से किसी संपित में कोई भी हिस्सा प्राप्त होता है, तो संपित का पैतृक या सहदायिक स्वरूप समाप्त हो जाता है और विभाजन डिक्री द्वारा जिस व्यक्ति को अपना हिस्सा प्राप्त हुआ है, वो ही उक्त संपित का अन्त्य और अनन्य स्वामी बन जाता है।
- 21. अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, प्रतिवादियों के फाज़िल अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों को आधार बनाया है:
 - i. पुनीथवल्ली अम्मल बनाम माइनर रामलिंगम, [मनु/एससी/0396/1970]
 - ii. संपत्ति कर आयुक्त बनाम चंद्र सेन, [मनु/एससी/0265/1986]
 - iii. एस. पी. एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरूतायन एवं अन्य, [मनु/एससी/0042/1994]

iv. दर्शना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य, [मन्/दे/2816/2018]

- 22. वर्तमान आवेदन भरण-पोषण न्यायाधिकरण के द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत की जाने वाली उन कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए वादी के अंतरिम संरक्षण के अधिकार के मुद्दे से संबंधित है जो कि उसके माता-पिता यानी इस वाद में प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा उसे घर से निकालने के लिए शुरू की गई हैं। जिस आधार पर वादी अपने पक्ष में आदेश की माँग कर रहा है वह मुख्यतः यह है कि वाद संपत्ति एचयूएफ है एवं उसमें सहदायिक अधिकार के कारण वादी को उसमें निरंतर रहने का अधिकार है।
- 23. जहाँ तक वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त अधिनियम वृद्ध माता-पिता की उनकी संतान द्वारा देखरेख एवं भरण-पोषण न किए जाने की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था। अतः पीड़ित माता-पिता को सरल एवं तत्काल राहत प्रदान करने के लिए विरिष्ठ नागरिक अधिनियम उपयुक्त तंत्र संस्थागत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- 24. यह ध्यान देने लायक बात है कि विरष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का इस अधिनियम से असंगत अन्य सभी अधिनियमों पर अभिभावी प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अन्सार संपत्ति की व्याख्या पैतृक एवं स्व-

अर्जित तौर पर की गई है। इसलिए, विरष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार संपत्ति की निम्न परिभाषा हैं:

"2. परिभाषाएं-

.

- (फ) "संपति" का अभिप्राय ऐसी किसी भी प्रकार की संपत्ति से है, चाहे वह चल या अचल हो, पैतृक या स्व-अर्जित, स्पृश्य या अस्पृश्य हो और उसमें ऐसी संपत्ति पर अधिकार या रुचि सम्मिलित हैं."
- 25. इसके अतिरिक्त, दिल्ली माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक रखरखाव एवं कल्याण नियम, 2009 (वरिष्ठ नागरिक नियम) में दिनांक 28.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया था, जिसमें नियम 22 (3) (1) (i) में पैतृक एवं स्व-अर्जित संपित दोनों को शामिल किया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों/कानूनी वारिसों को बेदखल करने की माँग कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक नियमों के नियम 22 (3)(1) में वरिष्ठ नागरिकों/माता-पिता की संपत्ति/आवासीय भवन से बेदखली की प्रक्रिया का प्रावधान है। इसलिए, 2017 के संशोधन के बाद संशोधित नियम इस प्रकार है:

"22. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य योजनाः

(3) (1) वरिष्ठ नागरिकों/माता-पिता की संपत्ति/आवासीय भवन से बेदखली की प्रक्रिया-

- (i) कोई वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहे चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, स्पृश्य या अस्पृश्य से अपने पुत्र और पुत्री या कानूनी वारिस की बेदखली, जिसमें उनके गैर-रखरखाव और दुर्व्यवहार के कारण संपत्ति में अधिकार या रुचि शामिल हैं, के लिए अपने जिला के उपायुक्त/जिला अधिकारी से आवेदन कर सकते हैं। '
- 26. श्रीमती दर्शना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली रखरखाव और माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों के कल्याण (संशोधन) नियम, 2017 के अंतर्गत विवाद से संबंधित संपत्ति पैतृक है या एचयूएफ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए उक्त संशोधन के नियम 22(3)(1)(i) में संशोधन कर यह माना गया था कि माता-पिता अपने पुत्र, पुत्री आदि को अपनी संपत्ति चाहे वह पैतृक हो या स्व-अर्जित से निकलने के लिए कह सकते हैं। इसलिए यह माना गया है कि:
 - "21. यह तर्क कि प्रश्नगत संपत्ति धनीराम की स्व-अर्जित संपत्ति नहीं थी और इसलिए उसका बेदखली का आवेदन स्वीकार्य नहीं है, सही नहीं है। धनीराम ने बताया था कि प्रश्नगत संपत्ति उनकी माँ श्रीमती बहुती देवी को 4 मई, 1967 को आवंटित की गई थी और उन्होंने यह संपति 28.01.1968 को पंजीकृत वसीयत के आधार पर अधिग्रहित की थी। संबंधित संपत्ति पैतृक या एचयूएफ है, यह तर्क प्रथम दृष्ट्या संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है, हालांकि, यह मुद्दा दिल्ली रखरखाव और माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों के कल्याण (संशोधन) नियम, 2017 के आधार पर महत्वपूर्ण नहीं है। नियम 22 (3) (1) (i) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया:
 - (i) कोई वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, स्पृश्य या अस्पृश्य से अपने पुत्र और पुत्री या कानूनी वारिस की बेदखली, जिसमें उनके गैर-रखरखाव और दुर्व्यवहार के आधार

पर संपत्ति में अधिकार या रुचि शामिल हैं, के लिए अपने जिले के उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। "

22. ऊपर उद्धृत नियम 22 (3) (1) (i) की भाषा से स्पष्ट है कि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से अपने बेटे, बेटी या कानूनी उत्तराधिकारी को बेदखल करने का भी हकदार है, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो या स्व-अर्जित।"

27. आरश्या गुलाटी वाद मित्र श्रीमती दिव्या गुलाटी द्वारा) और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह आदेश किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति, चाहे वह चल या अचल, पैतृक या स्व-अर्जित, स्पृश्य या अस्पृश्य हो, जिसमें उस संपत्ति में अधिकार या हिस्सा शामिल हों, के संरक्षण के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत जिलाधिकारी बेदखली के निर्देश दे सकता है। खंडपीठ ने न केवल उक्त अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा है, बल्कि यह भी कहा है कि हमें अधिनियम का उद्देश्य ध्यान में रख संपत्ति के संरक्षण का अर्थ समझना चाहिए, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक अपने कल्याण और सकुशलता के लिए संपत्ति अपने नाम रखता है। इस प्रकार, निम्नलिखित बात मानी गई है:

"62. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य सरकार बेदखली के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया तैयार कर सकती थी। हमें जिस उद्देश्य के लिए संसद ने अधिनियम बनाया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि संयुक्त परिवार व्यवस्था के समाप्त होने के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्गों की देखभाल उनके परिवार द्वारा नहीं की जा रही है। अतः कई बुजुर्ग व्यक्ति, विशेष रूप से विधवा महिलाएं अपनी प्रौढ़ अवस्था अकेले बिताने पर मजबूर हो जाती हैं और वह भावनात्मक उपेक्षा एवं शारीरिक और वितीय सहायता के अभाव में पड़ जाती हैं जो साफ़ तौर से यह दिखाता है कि बृढ़ापा एक बड़ी सामाजिक

चुनौती बन गया है और बुजुर्गों की देखभाल और संरक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया विलंबकारी एवं महंगी है। इसलिए माता-पिता/विरष्ठ नागरिकों के रखरखाव का दावा करने के लिए सरल, सस्ती और त्वरित तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। इस अधिनियम में विरष्ठ नागरिकों/माता-पिता के जीवन और संपित की सुरक्षा का भी प्रावधान है। "संपित के संरक्षण" का अर्थ विरष्ठ नागरिकों द्वारा अपने कुशलता और भलाई के लिए संपित को अपने नाम और कब्जे में रखना है।

63. इस अधिनियम का उद्देश्य उन बच्चों/कानूनी वारिसों से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की स्रक्षा के लिए स्लभ और त्वरित प्रक्रिया प्रदान करना है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वह माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के आधारभूत स्विधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं का ख्याल रखकर उनका भरण-पोषण करेंगे, लेकिन वह आधारभूत स्विधाएं प्रदान करने में अनिच्छ्क विफल रहते हैं और ऐसा आचरण दृर्व्यवहार और गैर-रखरखाव के बराबर होगा और माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों दवारा संपति से बच्चों/कान्नी वारिस को बेदखल करने की मांग करने का आधार होगा, जो उनके लिए अपनी संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, ताकि उनके पास रहने के लिए आश्रय रहे, और वह अपना जीवन अपने बच्चों/कान्नी वारिसों की हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से निर्वाह करते रहें। इसके अतिरिक्त, कोई वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की कान्नी लड़ाई लड़ने के लिए सिविल न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता क्योंकि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस अधिनियम की खंड 27 के अधीन वर्जित है। इस सम्बन्ध हम मुख्य न्यायाधीश शांति सरूप दीवान (सेवानिवृत) (उपरोक्त) के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अन्च्छेद 37 का संदर्भ लेते हैं :

"37. ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि प्रतिवादी सं. 7 अपने माता-पिता की अनुमित से रह रहा था और यह अनुमित बहुत समय पहले ही वापस ले ली गई थी, अपीलकर्ता और

विशेष रूप से अपीलकर्ता सं. 1 को सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और संपत्ति पर अनन्य कब्जा प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह उक्त अधिनियम का प्रयोजन ही विफल कर देगा जिसका उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अन्य अधिनियमों पर अभिभावी प्रभाव है। यह ही नहीं, सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी मामले पर विचार करने से रोक दिया गया है जिसका क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम के तहत निहित है और विशेष रूप से किसी भी निषेधाज्ञा देने पर रोक लगाता है। इसलिए 2013 की एलपीए सं. 1007 (ओ एंड एम) में प्रतिवादी सं. 7 को परिसर से बाहर जाने की आवश्यकता है ताकि अपीलार्थी शांति से रह सके और तत्पश्चात सिविल कार्यवाही केवल उसी स्थिति में की जा सकती है, यदि प्रतिवादी सं. 7 चंडीगढ़ में संपति के संबंध में ऐसा करता है, लेकिन किसी अंतरिम निषेधाज्ञा के बिना। इसके विपरीत यह मानना गलत होगा कि प्रतिवादी सं. 7 सहपरिवार घर में रहे एवं अपीलार्थियों को अपने अधिकारों के लिए यह जानते ह्ए भी सिविल न्यायालय जाने को कहा जाए कि सिविल कार्यवाहियाँ अपीलार्थी सं. 1 के पूर्ण जीवन काल तक समाप्त नहीं होने वाली। वास्तव में, यही प्रतिवादी सं. 7 का उद्देश्य है."

28. यह मानते हुए कि सामाजिक कल्याण विधान जैसे उदारवादी कानूनों में आने वाले शब्दों की व्याख्या भी उदारतापूर्वक और इसे बनाने वालों के प्रयोजन के अनुसार ही की जानी चाहिए, सनी पॉल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य³ में माना गया है कि:

"17. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के पठन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कोई विरष्ठ नागरिक अपने पुत्र और पुत्री या कानूनी वारिस को दुर्व्यवहार या गैर-भरण-पोषण के आधार पर अपनी स्व-अर्जित या पैतृक सम्पित से बेदखल करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। इन नियमों की वैधता को अपीलकर्ता द्वारा च्नौती नहीं दी गई है। च्नौती केवल 2007 के

अधिनयम के तहत बेदखली का आदेश देने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की चुनौती को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक सामाजिक कानून है और इसे 2007 के अधिनियम के अधिदेश की पूर्ति के लिए उदार व्याख्या देने की आवश्यकता है, अर्थात माता-पिता और विरष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन और संपित की सुरक्षा के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण को ऐसी किसी भी संपित से बच्चों को निष्कासित करने के निर्देश देने की न्यायाधिकारिता है जिसमें विरष्ठ नागरिक को निवास/कब्जे का अधिकार है। इस संबंध में, हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड राजस्थान बनाम राधा कृष्ण (1979) 2 एस. सी. सी. 468 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेते हैं जिसमें यह माना गया था कि जो अभिव्यक्ति अधिनियम के किसी भी भाग को अर्थहीन या अप्रभावी बनाता है, उससे हमेशा बचा जाना चाहिए और ऐसी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अधिनियम दवारा दिए गए समाधान को बढ़ावा दे।

18. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम अशोक विष्णु केट (1995) 6 एस. सी. सी. 326 मामले में यह माना गया था कि सामाजिक कल्याण विधान और मानव अधिकार विधान जैसे उदारवादी महत्व के कानूनों में आने वाले शब्दों को जबरन इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए ना ही न्यूनकारी आयामों में सीमित किया जाना चाहिए। इन कानूनों का अर्थ समझने के लिए शब्दों के अधिरोपण से बचना होगा और इसके दुरुपयोग की निरंकुशता को पहचानना और कम करना होगा।

19. इसी प्रकार की प्रतिपादना पर, उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम अनिल कुमार (2017) 14 एससीसी 304: एआईआर 2017 एससी 2716 में नेशनल इंश्योरेंस को. लि. लक्ष्मी नारायण धूत (2007) 3 एससीसी 700: (2007) 4 स्केल 36 में माना गया है कि:

"68. अधिनियम विधायिका का एक अध्यादेश है और अधिनियम का अर्थ निकालने के लिए उनके निर्माताओं के प्रयोजन को ध्यान में रखना चाहिए। <u>अधिनियम का अर्थ</u> <u>उसके निर्माताओं के प्रयोजन के अनुसार लगाया जाना चाहिए और न्यायालय का कर्तव्य</u>

विधायिका के सच्चे आशय पर कार्य करना है। यदि कोई कानूनी प्रावधान एक से अधिक व्याख्या रखता है, तो न्यायालय को उस व्याख्या का चयन करना होगा जो <u>विधायिका के सच्चे प्रयोजन को दर्शाती है।</u> यह कार्य विभिन्न कारणों से जटिल है, क्योंकि उपयोग किए जाने वाले शब्द हो सकता है कि सटीक या निश्चित अर्थ वाले वैज्ञानिक प्रतीक न हो या और वह भाषा विचार व्यक्त करने के लिए उपयुक्त न हो या विभिन्न विचारों के ट्यक्तियों से मिलकर बनी विधानमंडल की सभा के दवारा दी गई अभिव्यक्ति हो सकता है कि अस्पष्ट हो। **यहाँ तक कि अत्यंत कल्पनाशील विधानमंडल** के लिए भी ऐसी सभी परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना असंभव है जो अधिनियम बनाने के बाद पैदा हो सकती हैं और जहाँ इसे लागू करने की जरूरत हो सकती है। फिर भी, न्यायालयों का कार्य केवल व्याख्या करना है न कि कानून बनाना। आधुनिक राज्य में कानून किसी सार्वजनिक बुराई पर अंकुश लगाने या किसी सार्वजनिक लाभ को लागू करने वाली किसी नीति के साथ बनाया जाता है। यह कानून मुख्य रूप से पूर्व और वर्तमान अनुभवों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विधायिका के समक्ष रखी गई समस्याओं के लिए बनाया गया है। इसे भविष्य में उत्पन्न होने वाली इसी तरह की समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य शब्दों का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। लेकिन, अपने स्वरुप के कारण, भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी विभिन्न स्थितियों का पूरी तरह से अनुमान लगाना असंभव है, जिसमें बने हुए कानून की जरुरत <u>पड़े, और, इस तरह के अनिश्चित निर्देशों को संप्रेषित करने के लिए चूने गए शब्द कई</u> मामलों में स्पष्टता और सटीकता के अभाव में होने के लिए बाध्य हैं और इस प्रकार शब्द-निर्माण के विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होते हैं। शब्द-निर्माण की प्रक्रिया शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। दूसरे शब्दों में, विधायी आशय अर्थात किसी <u>कानून का सच्चा या विधिक अर्थ अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर</u> किसी स्पष्ट प्रयोजन या उददेश्य के बारे में विचार करके प्राप्त किया जा सकता है जो उस समस्या और उसके उपचार को समाविष्ट करता है जिसके लिए अधिनियमिति है। (जिला खनन अधिकारी बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (2001) 7 एससीसी 358: जेटी 2001 (6) एससी 183 देखिए)। यह भी अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि जिन उददेश्यों के लिए अधिनियमन किया गया है, उनके आधार पर कान्न के उददेश्य को पूर्ण करने के लिए, न्यायालय पाठ की व्याख्या को छोड़कर ऐतिहासिक, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा ले सकता है।

(जोर दिया गया)

69. यह मत भी व्यक्त किया गया कि:

अक्सर किसी कानून या कानून के अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या का परिणाम अर्थहीनता होता है। अतः, सांविधिक उपबंधों की व्याख्या करते समय न्यायालयों को उन उद्देश्यों या प्रयोजनों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके लिए अधिनियम बनाया गया है। यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर ने "सम रिफ्लेक्शन्स ऑन द रीडिंग ऑफ स्टेट्यूट्स (47 कोलंबिया लॉ रिपोर्ट्स 527) शीर्षक के एक लेख में यह मत व्यक्त किया कि,

"विधान का एक उद्देश्य होता है, कुछ समस्याओं को दूर करना, पर्याप्तता प्रदान करना, नीति में परिवर्तन करना, सरकार की योजना तैयार करना। वह लक्ष्य, वह नीति नाइट्रोजन की तरह हवा से नहीं खींची जाती है, यह कानूनों की भाषा में प्रमाणित है, जैसा कि उस उद्देश्य की अन्य बाहरी अभिव्यक्तियों के प्रकाश में पढ़ा जा सकता है।"

- 29. उपर्युक्त को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विरष्ठ नागरिकों को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है और उनके बच्चों/कानूनी वारिसों द्वारा बदसलूकी और उत्पीड़न के मामले में वह अपनी संपित से किसी भी प्रकार की बेदखली के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें पैतृक और स्व-अर्जित संपित दोनों शामिल हैं।
- 30. इसिलए, वादी की ओर से उठाया गया यह तर्क कि मुकदमा संपित एचयूएफ संपित है, जिसमें वादी सहदायक है, विरष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

- 31. वादी का वाद संपित में कोई भाग या सहदायिकी अधिकार है या नहीं, यह वर्तमान वाद में विचारण का विषय है। यदि वादी वाद संपित पर अपना अधिकार स्थापित करने में समर्थ है, तो इस न्यायालय के पास वादी की पात्रता अनुसार विभाजन की डिक्री पारित करने का अधिकार है। हालांकि, पुत्र द्वारा अपने माता-पिता के विरुद्ध विभाजन मुकदमा का लंबित होना वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अधीन भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट या बाधा नहीं है।
- 32. यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के धारा 27 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सिविल न्यायालय की न्यायाधिकारिता ऐसे किसी भी मामले में वर्जित है जिसमें उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। धारा 27 इस प्रकार है:
 - "27. सिविल न्यायालयों की न्यायाधिकारिता वर्जित- किसी सिविल न्यायालय की ऐसे किसी मामले में न्यायाधिकारिता नहीं है जिसके संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई कार्यवाही के लिए सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।
- 33. उपर्युक्त विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन अयोग्य पाया गया है और तदनुसार है ख़ारिज कर दिया गया है।

<u>सि.वा.(म्.प.) 528/2019</u>

34. रोस्टर पीठ के समक्ष 06.03.2023 के लिए सूचीबद्ध।

(सुश्री मिनी पुष्करणा) न्यायमूर्ति

24 फरवरी, 2023/सी/ऐयु

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।